

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (कॉवि.स॥17)डीएलबी / 19 / 208-20

दिनांक: 6/9/19

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका कामां में पैरवी हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर आगामी एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक के लिए पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद रोहिला	नगरपालिका कामां
2.	श्री ताहिर खान	नगरपालिका कामां

इनको विभागीय आदेशक्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेशक्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्रक्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका कामां से देय होगा।



(उज्ज्वल राठौड़)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (कॉवि.स॥17)डीएलबी / 19 / 208-21 - 36

दिनांक: 06/9/19

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
05. अध्यक्ष/अधिसापी अधिकारी, नगरपालिका कामां।
06. श्री राजेन्द्र प्रसाद रोहिला एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका कामां।
07. श्री ताहिर खान, एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका कामां।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी